न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

(80)

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/17

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड्, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री जितेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री रणजीत सिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता)
2. श्रीमती छाया कुंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सह ऋणी)
3. श्री भरत लाल खंत पिता श्री राम लाल खंत निवासी 122, मुण्वाधरा, नवाधरा, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (जमानती)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 15.12.2021

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री जितेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री रणजीत सिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) 2– श्रीमती छाया कुंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सह ऋणी) को दिनांक 31.03.2017 को राशि रुपया 5,00,000 (अक्षरे पाँच लाख रुपया मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। जिसमे जमानतदार श्री भरत लाल खंत पिता श्री राम लाल खंत निवासी 122, मुण्वाधरा, नवाधरा, तहसील गढी जिला बॉसवाडा है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 27–01–2020 तक कुल बकाया ऋण राशि [illegible] रू. ([illegible]) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

... रहन की जिसका विवरण श्री जितेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री रणजीत सिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा की सम्पत्ति जो पट्टा सं. 96 ग्राम सेनाला ग्राम पंचायत वखतपुरा तहसील गढी जिला बॉसवाडा पर स्थित है, जो माप लगभग 996.3 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में शांती सिंह का मकान, पश्चिम में आम कच्ची सडक, उत्तर में मुख्य सडक, दक्षिण में अप्रार्थी की पडत भूमि है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 28–07–2020 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 02.03.2021 को जारी किये गए। तहसीलदार गढी की ओर से अप्रार्थी सं. 1 की मृत्यु हो जाने की रिर्पोट के साथ नोटिस अदम तामिल प्रस्तुत हुआ। बावजुद नोटिस तामील/सू[illegible] के उपरांत भी अप्रार्थी सं.2 श्रीमती छाया कुंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह लगातार अनुपस्थित रही। अ[illegible] सं. 3 श्री भरत लाल खंत पिता श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

(82)

...ल खंत दिनांक 05.04.2021 एवं दिनांक 08.09.2021 को उपस्थित हुए इसके पश्चात् से आज दिनांक तक अनुपस्थित है। चुंकि अप्रार्थी सं. 1 श्री जितेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री रणजीत सिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण इनके विधिक उत्तराधिकारियों को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है, जिस हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को 05.04.2021 से लगातार पाबंद करने के उपरांत भी आज दिनांक तक मृतक के सन्दर्भ में वास्ते कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अतः वकील प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी सं. 1 श्री जितेन्द्र सिंह चुण्डावत पुत्र श्री रणजीत सिंह चुण्डावत जाति राजपुत निवासी 76, वार्ड नं.1, राजपुत मोहल्ला, सेनाला, आंजना, तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी व बंधक कर्ता) के विधिक उत्तराधिरियों के सन्दर्भ में कायम वारिस मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में कार्यवाही संभव नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को सूचित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2022.04.26 10:01:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner